राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302001)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः पीआर / डीएलबी / SBM / IEC / 2022 / 2098 दिनांक : 22/06/2022

मैसर्स एन.एस. पब्लिसिटी
इण्डिया प्राईवेट लि.
जयपुर

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किये जाने के क्रम में आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार–प्रसार के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में Front Lit Flex with Frame लगाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किये जाने के क्रम में आमजन में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रचार–प्रसार के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, अस्पताल, स्कूल, उद्यानों जहां पर बड़ी संख्या में आमजन का दैनिक रूप से जाना रहता है एवं ऐसे स्थानों पर जहॉ होर्डिंग्स / यूनीपोल नहीं है, वहॉ निर्धारित डिजाईन के अनुसार 20'X10' साईज के 1000 Front Lit Flex with Frame लगाये जाने है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आदेश क्रमांक एफ.3( ) / राज.संवाद / Outdoor Media / 2020–2021 / 148–64 दिनांक 04.02.2021, 738–49 दिनांक 08.10.2021 एवं 769–70 जयपुर दिनांक 12.10.2021 से 03.02.2023 तक के लिए आउटडोर मिडिया के लिये Front Lit Flex with Frame लगाये जाने के लिए आपकी फर्म की दरें स्वीकृत की गई है। डीआईपीआर (राजस्थान संवाद) द्वारा Front Lit Flex with Frame लगाने की दरें निम्नानुसार हैः–

Name of Item	Specification	Approved Rate (Rs. Per Sq. ft.)
Front Lit Flex with Frame	solvent Printings of 4 Pass Frame of 1" Square Ms pipe of 2.0 KG Lengths of 20Ft. Installation with GI wire on top and bottom Flex of 280 GSM Black Back	26.85

नोटः उक्त दरों पर नियमानुसार GST पृथक से देय होगा।

आप उक्तानुसार डीआईपीआर दरों पर निम्न शर्तो के अध्यधीन संलग्न सूची एवं डिजाईन के अनुसार कार्य सम्पादित करेंः–

1. फर्म द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार Front Lit Flex with Frame लगाने होंगे।
2. Front Lit Flex with Frame की वास्तविक लम्बाई व चौड़ाई (20X10 वर्ग फीट) के अनुसार गणना की जावेगी।
3. 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर प्रतिबन्धित होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. फर्म को आदेश प्राप्ति दिनांक से 07 दिवस में कार्य सम्पादित करना होगा।
5. फ्लैक्स पेस्टिंग / फिक्सिंग के कार्य में प्रिन्टिंग का कार्य स्पष्ट एवं अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए एवं पेस्टिंग / फिक्सिंग में कोई सलवट इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
6. कार्य के भुगतान का बिल मय प्रत्येक Front Lit Flex with Frame की Geotagging के आधार पर लिये गये फोटोग्राफ सहित फर्म दस्तावेजों के साथ निदेशालय में प्रस्तुत करेगी।

7. फर्म को लगाये गये फ्लेक्स की Geotagging के आधार पर फोटो खींचकर विभाग की ई–मेल आई.डी. geotagging.pr@gmail.com पर भेजनी होगी।
8. जयपुर शहर में फर्म द्वारा लगाये जाने वाले Front Lit Flex with Frame का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रतिनिधि द्वारा किया जाकर प्रमाणन किया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले Front Lit Flex with Frame का सत्यापन एवं प्रमाणन Geotagging से प्राप्त सूचना/फोटोग्राफ के आधार पर किया जायेगा। यदि किन्ही तकनीकी कारणों से Geotagging संभव नहीं हो पाये तो संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणन किया जायेगा।
9. वास्तविक राशि की गणना Front Lit Flex with Frame लगाने के आधार पर होगी।
10. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान वांछित दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित समिति की अभिशंषा पर किया जायेगा।
11. कार्य में देरी की स्थिति में नियमानुसार शास्ति अरोपित की जावेगी।
12. कार्य की मात्रा/अवधि नियमानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
13. RTPP Act 2012 /Rule 2013 में समस्त प्रावधान लागू रहेंगे।
14. विवाद की स्थिति में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15. न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय होगा।

उक्त कार्यादेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सलग्नः– संलग्न उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः पीआर/डीएलबी/SBM/IEC/2022/2099-2224 दिनांक : 22/06/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक **कार्यवाही हेतु :–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।च
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सहायक, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज0।
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
8. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)